

ईश्वर पुत्र रामचन्द्र उम्र 31 वर्ष जाति नायक निवासी देवपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. मेवाराम पुत्र रुघनाथ उम्र बालिग जाति नायक
 2. महादेव पुत्र सुवा उम्र बालिग जाति नायक
 3. मूला पुत्र सूरजमल उम्र बालिग जाति नायक
 4. कुन्दनमल पुत्र रुघनाथ उम्र बालिग जाति नायक
 5. मोती पुत्र रुघनाथ उम्र बालिग जाति नायक
 6. नरेन्द्र पुत्र उदयसिंह उम्र बालिग जाति नायक
 7. महादेव पुत्र रुघनाथ उम्र बालिग जाति नायक
 8. रामप्रसाद पुत्र मूला उम्र बालिग जाति नायक
- सभी निवासीयान देवपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजयनगर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा. भू. राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम देवपुरा पटवार मंडल धानीखडा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 330 रकबा 08-12-00. 336 रकबा 00-11-00. बिस्वा उनकी खुदकाशत से संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम देवपुरा पटवार मंडल धानीखडा की जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता संख्या 84 ख0 न0 330 रकबा 08-12-00. 336 रकबा 00-11-00. बिस्वा प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम देवपुरा पटवार मंडल धानीखडा स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 330 रकबा 08-12-00. 336 रकबा 00-11-00. बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं

